

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : डॉ. विमला पवार 2. वर्तमान धारित पद : प्राध्यापक संयोजक

3. वर्तमान वेतन : ₹ 46,000 + 9,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : July 2013 A.G.P.

ठर जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वैसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, त्रिरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) रतलाम संभाग उज्जैन	(2) बृहभवन	(3) -	(4) 15,00,000/- लाभ	(5) स्वयं के नाम पर	(6) उच्च शिक्षा विभाग गठन लेख	(7) 2-94 के उपयोग	(8) -

हस्ताक्षर : Ravindra 23.5.13  
 नाम : डॉ. विमला पवार  
 पद : प्राध्यापक संयोजक

जहाँ लागू न हो कार्ट दर्जिए।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सागुण मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अग्रेज प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और अपने वह उनके स्वधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयों उसमें मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर